राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6083/2022

श्रीमती संगीता (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएएल201702005963)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2022
आदेश की दिनांक : 02.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र वर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.11.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण जि.सै.क.का. अलवर से जि.सै.क.का. बहरोड़ में किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीया को उनके पति के स्वर्गवास के पश्चात् अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की गई थी। अपीलार्थीया को नियुक्ति के पश्चात् जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, बहरोड़ में पदस्थापित किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थीया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा बहरोड़ से अलवर किया गया था और अपीलार्थीया के स्थान पर छाजुलाल शर्मा का स्थानांतरण किया गया। जिस आदेश को अपीलार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी

थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीया की रिट याचिका संख्या 281/2021 में दिनांक 15.01.2021 को उक्त स्थानांतरण आदेश स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थीया अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थीया की उक्त रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 06.09.2022 को हो चुका है। वर्तमान में प्रत्यर्थी विभाग ने आक्षेपित आदेश दिनांक 15.11.2022 पारित कर अपीलार्थीया का स्थानांतरण पुनः जि.सै.क.का. बहरोड़ में कर दिया है एवं अपीलार्थीया के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी छाजुलाल शर्मा को ही स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थीया एकल महिला है और अपीलार्थीया की नियुक्ति अनुकंपात्मक नियुक्ति थी। पूर्व में भी अपीलार्थीया के स्थान पर छाजुलाल शर्मा को समंजन करने के दृष्टि से स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित किया था। वर्तमान में भी वहीं छाजुलाल को समंजन करने की दृष्टि से पुनः स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148** **में** निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> ***"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."***

4. प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। अपीलार्थीया के द्वारा जो रिट याचिका संख्या 281/2021 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई

थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश दिनांक 06.09.2022 को पारित किया है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग को छुट दी गई है कि वो आवश्यकता होने पर अपीलार्थीया के संबंध में नया स्थानांतरण आदेश पारित कर सकता है। यह प्रत्यर्थी विभाग के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें अपीलार्थी की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। उपरोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के स्थानांतरण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. अतः यह अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)